

36. नगरीय प्रशासन

- 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? [JEN (Civil) Degree - 18.05.2022]

(1) 1 जून, 1993 को (2) 20 अप्रैल, 1993 को
(3) 2 अक्टूबर, 1993 को (4) 30 जनवरी, 1993 को

Ans. (1)

व्याख्या - 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 :
यह अधिनियम 22 दिसम्बर, 1992 को लोकसभा व 23 दिसम्बर, 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इसे 20 अप्रैल, 1993 को स्वीकृति प्रदान की तथा यह 1 जून, 1993 को लागू किया गया। इसके द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा नगरपालिकाओं के लिए संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई एवं नया भाग-IX क नगरपालिकाएँ (Part IXA - The Municipalities) अंतः स्थापित किया गया। इसमें कुल 18 अनुच्छेद- अनुच्छेद 243त (243P) से 243य छ (243ZG) तक शामिल किए गये।

- भारतीय संविधान की कौनसी अनुसूची नगरपालिकाओं के बारे में है? [CET - 11.2.2023 (S-I)]

[छात्रावास अधीक्षक - 28.07.2024]

(1) 11वीं (2) 12वीं (3) 13वीं (4) 10वीं

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है- [CET : 04.02.2023 (S-I)]

(1) 9 (2) 10 (3) 6 (4) 7

Ans. (2)*

व्याख्या - परीक्षा काल के समय नगर निगम 10 थे परन्तु वर्तमान में 11 हैं, यथा - जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर (1 अगस्त, 2023 को गठित)।

- अनुच्छेद 243 फ (V) में क्या वर्णित है?

[JEN (Civil) Degree - 18.05.2022]

(1) नगरपालिका का गठन
(2) नगरपालिका की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व
(3) नगरपालिका में सीटों का आरक्षण
(4) नगरपालिका सदस्यता के लिए निरर्हताएँ

Ans. (4)

व्याख्या - नगरपालिकाएँ भाग 9 क (A) : अनुच्छेद

- अनु. 243त (P) - परिभाषाएँ
अनु. 243थ (Q) - नगर पालिकाओं का गठन
अनु. 243द (R) - नगर पालिकाओं की संरचना
अनु. 243ध (S) - वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना
अनु. 243न (T) - स्थानों का आरक्षण
अनु. 243प (U) - नगर पालिकाओं की अवधि
अनु. 243फ (V) - सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
अनु. 243ब (W) - नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
अनु. 243भ (X) - नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ
अनु. 243म (Y) - वित्त आयोग
अनु. 243य (Z) - नगर पालिका के लेखाओं की संपरीक्षा
अनु. 243यक (ZA) - नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन
अनु. 243यख (ZB) - संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना
अनु. 243यग (ZC) - इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
अनु. 243यघ (ZD) - जिला योजना के लिए समिति
अनु. 243यङ (ZE) - महानगर योजना के लिए समिति
अनु. 243यच (ZF) - विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना
अनु. 243यछ (ZG) - निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन

- निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौनसा अनुच्छेद नगरपालिकाओं को कर, शुल्क, पथ कर और फीस उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है?

[Protection Officer - 28.01.2023]

(1) अनु.-243 ब (2) अनु.-243 भ X
(3) अनु.-243 म (4) अनु.-243 य

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सुमेलित नहीं है?

[CET : 08.01.2023 (S-I)]

(1) 243 R - नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख
(2) 243 S - वार्ड समितियों का गठन व संरचना
(3) 243 ZE - महानगर योजना समिति का गठन
(4) 243 ZC - जिला योजना समिति का गठन

Ans. (4) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है?

[संरक्षण अधिकारी परीक्षा-29.05.2019]

- (1) अनुच्छेद 243 य ड (2) अनुच्छेद 243 य च
(3) अनुच्छेद 243 य छ (4) अनुच्छेद 243 य ज

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? [VDO-28.12.2021 (S-II)][कॉलेज व्याख्याता-2016]

[Asstt. Fire Officer -29.1.2022][JEN (Electric) Dipl-- 18.5.2022]

- (1) नसीराबाद (2) माउण्ट आबू (3) जोधपुर (4) बाड़मेर

Ans. (1)

व्याख्या - छावनी मंडल : छावनी मंडल की स्थापना उन स्थानों पर की जाती है जहाँ छावनी में सेना रहती है। इन्हें 'कैन्टोनमेन्ट बोर्ड' भी कहा जाता है। छावनी मण्डल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सीधे नियंत्रणाधीन व पर्यवेक्षणाधीन होते हैं। राजस्थान में केवल नसीराबाद (अजमेर) में सैनिक छावनी में स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल स्थापित है।

छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है-

[III Grade (SST) -26.02.2023]

- (1) केन्द्र सरकार द्वारा (2) केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा
(3) सार्वजनिक उद्यम द्वारा (4) राज्य सरकार द्वारा

Ans. (1) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई?

[जेल प्रहरी परीक्षा - 2017]

- (1) 1886 (2) 1868 (3) 1964 (4) 1864

Ans. (4)

व्याख्या - ब्रिटिश शासनकाल में 30 दिसम्बर, 1687 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज-द्वितीय द्वारा जारी रॉयल चार्टर के तहत 29 सितम्बर, 1688 को मद्रास नगर निगम का गठन (उद्घाटन) हुआ। इसके प्रथम मेयर नेथेलियम हिगिन्सन बनाये गये। इसके सदस्यों को प्रारम्भ में एल्डरमैन कहा जाता था। 1919 में इनका पदनाम काउन्सिलर्स कर दिया गया। 1864 में माउण्ट आबू में राजस्थान की पहली नगर पालिका स्थापित की गई। उसके बाद 1866 में अजमेर, 1867 में ब्यावर तथा 1869 में जयपुर में स्थापित की गई।

74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है?

[III Grade (SST) -26.02.2023]

- (1) टाउन एरिया समिति (2) नगरपालिका परिषद्

(3) नगर निगम

(4) नगर पंचायत

Ans. (1)

व्याख्या - तीन प्रकार के नगरीय निकाय (243थ or 243Q) : 74वाँ संविधान संशोधन देशभर में निम्न त्रिस्तरीय नगर निकायों की व्यवस्था करता है- • **नगर पंचायत** - ऐसे क्षेत्रों में जो ग्राम से नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया में हैं, नगर पंचायत (नाम चाहे कुछ भी हो) का गठन किया जाएगा। • **नगर परिषद्** - नगर परिषद् का गठन छोटे नगरों में किया जाएगा। • **नगर निगम** - इनका गठन बड़े नगरों में किया जाएगा।

नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है?

[उद्योग प्रसार अधिकारी-22.08.2018]

- (1) सभापति (2) नगर आयुक्त (3) जिला मजिस्ट्रेट (4) मेयर

Ans. (4)

व्याख्या : नगर निगम का अध्यक्ष 'महापौर (मेयर)', नगर परिषद् का अध्यक्ष 'सभापति' तथा नगर पालिका का अध्यक्ष 'अध्यक्ष (चेयरमैन)' होता है।

राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया था-

[प्रवक्ता (तकनीकी शिक्षा विभाग) -12.03.2021]

[VDO-27.12.2021 (S-I)]

- (1) 2003 (2) 2007
(3) 2002 (4) 2005

Ans. (1)

व्याख्या - जिला परिषद एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में समन्वय की दृष्टि से वर्ष 2000 में संशोधन अधिनियम द्वारा जिला प्रमुख को जिला कलेक्टर के स्थान पर डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष बनाया गया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में 1 सितम्बर, 2003 से प्रभावी हुआ।

राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए-

[कर सहायक - 14.10.2018]

- (1) 1 लाख से अधिक (2) 3 लाख से अधिक
(3) 5 लाख से अधिक (4) 4 लाख से अधिक

Ans. (3)

व्याख्या - मापदण्ड-• नगर निगम-5 लाख से अधिक

• नगर परिषद् - 1 लाख से 5 लाख तक

• नगर पालिका - 20 हजार से 1 लाख तक

- 74वाँ संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है- 1. अनुसूचित जातियों के लिए, 2. अनुसूचित जनजातियों के लिए, 3. महिलाओं के लिए 4. पिछड़े वर्गों के लिए [JEN (Mech.) Degree - 20.5.2022]

- (1) 1 एवं 2 (2) 1 एवं 3
(3) 1, 2 एवं 3 (4) 1, 2, 3 और 4

Ans. (3)

व्याख्या - स्थानों का आरक्षण [243न(T)] : प्रत्येक नगर निकाय या नगरपालिका में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में सीटों का यह आरक्षण उस नगर निकाय के क्षेत्र में इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा आरक्षित की गई सीटों का बारी-बारी से आवर्तन किया जाएगा। उपर्युक्त रीति से इन वर्गों के लिए आरक्षित की गई कुल सीटों के एक-तिहाई स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसी प्रकार नगर निकाय के क्षेत्र की प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली कुल सीटों के कम से कम एक-तिहाई स्थान (अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और इन स्थानों की बारी-बारी से नगर निकाय के क्षेत्र में आवर्तन (Rotation) किया जाता रहेगा।

- राजस्थान में नगर पालिका, अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी।

[CET : 07.01.2023 (S-1)]

- (1) तीन-चौथाई (2) एक-तिहाई
(3) दो-तिहाई (4) दसवाँ भाग

Ans. (1)

व्याख्या - नगरपालिका अध्यक्ष को पद से हटाने हेतु 1/3 पार्षदों द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को 3/4 बहुमत से पारित करने के बाद जनमत संग्रह में बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में आने पर राइट टू रिकॉल का प्रावधान है।

- निम्नलिखित में से कौनसा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है?

[वनरक्षक-13.12.2022(S-I)]

- (1) जनस्वास्थ्य एवं सफाई (2) अग्निशमन
(3) गरीबी निवारण (4) आबकारी नियमन

Ans. (4)

व्याख्या - 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्य [243ब (W)] - संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 ब) में 18 विषयों को सम्मिलित किया गया है। राज्य विधानमण्डल इन विषयों पर नगरपालिकाओं को अधिकार दे सकता है- 1. नगर योजना, 2. भूमि प्रयोग व भवन निर्माण, 3. सामाजिक विकास हेतु योजनाएँ, 4. सड़कें और पुल निर्माण, 5. घरेलू, वाणिज्य एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ जलापूर्ति, 6. स्वास्थ्य, सफाई सेवा और कूड़ा-करकट का प्रबंधन, 7. अग्निशमन सेवाएँ, 8. नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण आदि पहलुओं का प्रबंधन, 9. विकलांग व मंदबुद्धि आदि के सामाजिक हितों की सुरक्षा, 10. बस्तियों का सुधार-उन्नयन, 11. शहरी गरीबी कम करने का प्रयास, 12. बाग-बगीचे, खेल-मैदान की सुविधाएँ, 13. सांस्कृतिक व कला पक्षों का संवर्धन, 14. कब्रों, श्मशानों तथा उनके लिए भूमि व्यवस्था, 15. जन्म-मृत्यु पंजीकरण, 16. पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम, 17. सड़कों का विद्युतीकरण, बस स्टॉप, वाहन पार्किंग व्यवस्था का संधारण, 18. बूचड़खानों का विनियमन।

- जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया?

[R.A.S. Pre (can.) 1999]

- (1) 26 जनवरी, 1998 को (2) 15 अगस्त, 1998 को
(3) 26 जनवरी, 1999 को (4) 30 जनवरी, 1999 को

Ans. (4)

- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किये जा सकते हैं-

[R.A.S. - 27.10.2021]

- (1) 10 (2) 12 (3) 8 (4) 6

Ans. (3)

व्याख्या - 'राजस्थान नगरपालिका (नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या बढ़ाने का उपबंध संशोधन) विधेयक, 2021' 2009 के राजस्थान अधिनियम, संख्या 18 की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- '(ii) नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले, नगरपालिका बोर्ड के मामले में 'छह व्यक्ति', नगर परिषद के मामले में 'आठ व्यक्ति' और नगर निगम के मामले में 'बारह व्यक्ति', जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाये।'